फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

कमलनयन पिता जगदीश प्रसाद तोतला निवासी पहुंना
बनाम
प्रेमशंकर पिता रामनारायण तोतला निवासी पहुंना वगैरा

प्रकरण संख्या 21/2022 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.05.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट बावजूद सूचना अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलांट तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। रेस्पोडेन्ट की तामील शेष है अधिवक्ता अपीलांट ने प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् आदिनांक तक रेस्पोडेन्ट की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए हैं जबकि नोटिस प्रोसेस पेश करने हेतु इन्हें पूर्व में कई बार निर्देशित किया है फिर भी नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए हैं तथा आज बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुए हैं। पुनः रूक–रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी अपीलांट तथा उसके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश की प्रति के प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	